मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
<u>मंत्रालय</u>

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27-12-2008

क्रमांक ——/एफ 73/1/2008/3-38:: राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील क्रमांक 6399/04 में पारित आदेश दिनांक 22/7/2008 के परिपालन में मध्यप्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों को दिनांक 01.01.96 से पॉचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरुप पॉचवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुसार दी जा रही है :-

(1) अनुदान प्राप्त अशासकीय शैंक्षणिक महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के पॉचवें वेतनमान के सबंध में राज्य शासन द्वारा दायर विभिन सिविल याचिकाओं में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का [illegible]

(2) अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान योग्य राशि का भुगतान वीमा एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन करवाने के उपरांत ही किया जावेगा। ये शर्ते सेवा निवृत्त/मृत/निष्कासित कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगी।

(3) पॉचवें वेतनमान का ये लाभ देने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशैक्षणिक महाविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान, शासन के अनुदान के संबंध में समय समय पर जारी नीति-निदेर्शो के अनुसार ही किया जावेगा। दिनांक 1.4.2002 के वाद अनुदान उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 8534/2002 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2002 के अनुरुप ही दिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान महाविद्यालयों द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।

(4) ये स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 715/93/चार/2008, दिनांक 16.09.2008 में दी गई सहमति के आधार पर दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

27/12/08

(श्रीमती एस. खण्डाते)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क० ——/एफ 73–¹/200 /3–38, भोपाल, दिनांक 27-12-2004

प्रतिलिपिः–

1. दो अतिरिक्त प्रितियों सहित सचिव, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं महालेखकार म०प्र० की ओर पृष्ठांकन करने हेतु अग्रेषित ।
2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म०प्र० ग्वालियर ।
3. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त प्राचार्य अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संबंधित शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय ।

की ओर आगामी कार्यवाही करने हेतु ।

27/12/04

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग